

ब-अदालत उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ जिला-श्रीगंगानगर(राज.)
पीठासीन अधिकारी:-सुश्री प्रियंका तलानिया(आर.ए.एस)
प्रकरण सं.:-132/2021

हेतराम उम्र-48 वर्ष पुत्र श्री पदमाराम जाति कुम्हार निवासी चक-8 एलएम तहसील
अनूपगढ जिला-श्रीगंगानगर (राज.)

---वादी

बनाम्

- 1- ओमप्रकाश पुत्र श्री पदमाराम जाति कुम्हार निवासी चक-8 एलएम तहसील अनूपगढ
जिला-श्रीगंगानगर (राज.)
- 2- बनवारीलाल पुत्र श्री पदमाराम जाति कुम्हार निवासी चक-8 एलएम तहसील
अनूपगढ जिला-श्रीगंगानगर(राज.)
- 3- सादुलाराम पुत्र श्री पदमाराम जाति कुम्हार निवासी चक-8 एलएम तहसील अनूपगढ
जिला-श्रीगंगानगर(राज.)
- 4- महावीर पुत्र श्री पदमाराम जाति कुम्हार निवासी चक-8 एलएम तहसील अनूपगढ
जिला-श्रीगंगानगर(राज.)
- 5- तहसीलदार राजस्व अनूपगढ।

---प्रतिवादीगण

- 6- पदमाराम पुत्र श्री फुसाराम जाति कुम्हार निवासी चक-8 एलएम तहसील अनूपगढ
जिला-श्रीगंगानगर(राज.)
- 7- रामप्यारी पत्नी स्व0 मोहनलाल पुत्री पदमाराम जाति कुम्हार निवासी चक-1 एमडी
तहसील अनूपगढ जिला-श्रीगंगानगर(राज0)
- 8- पानादेवी पत्नी भयोप्रकाश पुत्री पदमाराम जाति कुम्हार निवासी रावला मण्डी तहसील
रावला जिला-श्रीगंगानगर(राज0)
- 9- संतोषदेवी पत्नी इन्द्राज पुत्री श्री पदमाराम जाति कुम्हार निवासी चक-2 पीएम
तहसील घड़साना जिला-श्रीगंगानगर(राज0)

--- औपचारिक पक्षकार

वाद पत्र अंतर्गत धारा-53,88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

:: संशोधित आदेश ::

दिनांक-27.09.2022

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अनवान हेतराम बनाम् ओमप्रकाश आदि प्रकरण संख्या-132/2014 अन्तर्गत धारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,88 राज. काश्त अधिनियम में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 152 सिविल प्रक्रिया संहिता स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर उक्त प्रकरण में निर्णय दिनांक-26.08.2022 के पृष्ठ संख्या-03 में दर्ज प्रतिवादी सं.-01 ओमप्रकाश के हिस्सा की दर्ज कुल भूमि 1.606 दर्ज है, के स्थान पर कुल भूमि 1.605 हैक्टर, प्रतिवादी सं.-02 बनवारी लाल के हिस्सा की दर्ज भूमि में मुरब्बा नं.-281/479 के किला नं.-12/0.126, किला नं.-19/2 तथा कुल 2.063 हैक्टर के स्थान पर किला नं.-12/0.127 व 19/2 मे 0.127 हैक्टर तथा कुल 2.064 हैक्टर तथा निर्णय के पृष्ठ सं.-04 में प्रतिवादी सं.-04 महावीर के नाम से दर्ज कृषि भूमि का कुल योग 3.19 हैक्टर, के स्थान पर 3.719 हैक्टर को एतद्द्वारा संशोधित किया जाता है।


(प्रियंका तलानिया)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ

